राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार अभियान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
197/2017	29.08.2017	3.05.2018

बइजलास– के0जी0जोजन, (आर.ए.एस.)

–:: उनवान::–

1. अंकित सॉवला पुत्र त्रिलोकचन्द सॉवला जाति महाजन निवासी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान।
2. मयंक सॉवला पुत्र त्रिलोकचन्द सॉवला जाति महाजन निवासी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान।

प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान

अप्रार्थी

–:: प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–136 भू'–राजस्व अधिनियम :–

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री कमलेश कुमार धाकड़ :– वकील प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 3/05/2018

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि,

प्रार्थी नं 1 के कब्जे एवं खातेदारी स्वामित्व की भूमि वाके माल ग्राम हीरियाखेडी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोडक तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राजस्थान) में खाता सं 58 में खसरा नं 130/537 की रकबा 0,41 हैक्टैयर किस्म ओद्यौगिक जो प्रार्थी नं 1 द्वारा धन्नालाल गुप्ता से क्रय की थी तथा खाता सं 139 में स्थित है तो प्रार्थी नं 1 द्वारा विनोद कुमार गुप्ता से क्रय की है तथा खता सं 149 में

Scanned by CamScanner

स्थित खसरा नं 130/536 की रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि किस्म उद्योग स्थित है। तो प्रार्थी नं 1 द्वारा माया गुप्ता से क्रय की है तथा प्रार्थी 2 के कब्जे एवं खातेदारी की भूमि ग्राम हीरियाखेड़ी पटवार क्षेत्र हीरियाखेड़ी मू'–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोडक तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) में खाता सं0 में स्थित खसरा नं 131 की रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म उद्योग स्थित है जो प्रार्थी नं 2 द्वारा अजय कुमार गुप्ता से क्रय की है तथा ग्राम हीरियाखेड़ी में ही खाता सं 151 में स्थित खसरा नं 130/536 की रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म उद्योग स्थित है जो प्रार्थी नं 2 द्वारा शांतीबाई से क्रय की है । उक्त क्रयशुदा भूमि पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण को पूर्व खातेदारान द्वारा जहां पर कब्जा संभलाया गया था वहीं पर प्रार्थीगण काबिज है।

यह कि उक्त भूमि पूर्व में खसरा नं 89 की रकबा 15 बीघा किस्म बारानी तृतीय किस्म में दर्ज थी जो पूर्व में खातेदारान लक्ष्मण, बालचंद, गोपाल व श्यामलाल पुत्रान म्यारसा व मु• नंदूबाई बेवा म्यारसा के खाते थी जिसको औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपांतरित करवाया गया था तथा उनके द्वारा उक्त भूमि को धन्नालाल, माया गुप्ता अजय गुप्ता शांतीबाई व विनोद कुमार को विक्रय की गई थी जिनसे उक्त भूमि को प्रार्थीगण द्वारा क्रय किया गया है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज है।

यह कि खसरा नं मिन 89 के सेटलमंट कर्मचारियों बाद सेटलमंट खसरा नं 126,127,129,130,131 नवीन खसरा नं दर्ज किये है। जिसमें से खसरा नं 126 व 127 सिवायचक नाकाबिज काश्त भूमि है। किंतु खसरा नं 130 व 131 की 15 बीघा औद्योगिक कन्वर्ट भूमि प्रार्थीगण के खाते में दर्ज हो चुकी है। जिसका सेटलमेंट के बाद नक्शा ट्रेस खसरा नं 126 व 127 व 129,130 तथा 131 के मध्य की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। जबकि खसरा नं 126,127,129 की भूमि मोके पर पुराने नक्शे में बतरफ उत्तर–पूर्वी की तरफ खाली पड़ी हुइ है। प्रार्थीगण का कब्जा उक्त भूमि पर ना होकर बतरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ है तथा पूर्व से ही इसी अनुसार कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण का कब्जा उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी कोने की तरफ कभी नही रहा है, प्रार्थीगण का कब्जा हमेशा से पश्चिमी तरफ ही रहा हैं जहां पर पूर्व खातेदारान का भी कब्जा था उसी अनुसार प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज है।

Scanned by CamScanner

लोक अदालत
आपके द्वार अभियान

यह कि सेटलमेंट कर्मचारियो से के द्वारा प्रार्थीगण का एवं पूर्व खातेदारान का जिस प्रकार से कब्जा था उसी अनुसार खसरा नं नक्शा ट्रेस पें अंकन ना कर गलत दिशा में अंकन कर दिया है। जहा। पर ना तो प्रार्थीगण का ना ही पूर्व खातेदारान का कभी कोइ कब्जा रहा हैं। प्रार्थीगण का कब्जा खसरा नं 126 व 127 की भूमि एवं खसरा नं 129,130 तथा 131 के मध्य भाग की भूमि पर रहा है। परंतु सेटलमेंट मर्कचाारियो द्वारा प्रार्थीगण का कब्जा 131 संपूर्ण पर भी दिखाया गया है। परंतु खसरा 131 के उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी कोने पर प्रार्थीगण का कब्जा ना तो वर्तमान में है ना ही पूर्व खातेदारो का कब्जा था जिस पर कब्जा ना दर्शाकर गलत अंकन कर दिया है गलत अंकन करने से प्रार्थीगण के अधिकारो के साथ कुठाराघात किया गया है।

यह कि सेटलमेंट कर्मचारियो को जिस प्रकार से प्रार्थीगण एवं पूर्व खातेदार काबिज थे उसी अनुसार नक्शा ट्रेस में अंकन किया जाना आवश्यक था परंतु सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा नक्शा ट्रेस में गलत तरीके से अंकन करने से प्रार्थीगण को अनावश्यक परेशानिया उठानी पड रही है।

यह कि नवीन सेटलमेंट के तहत सेटलमेंट कर्मचारियो को सर्वप्रथम प्रार्थीगण जहॉ काबिज में उसी खसरा नं का अंकन करना चाहिये था लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियो की घोर लापरवाही में प्रार्थीगण के सरथ कुठाराघात करके अवैध व प्रभावशुन्य खसरा नं का अंकन फर्जी रुप से कर दिया है जो प्रार्थी के हिता के विपरीत होने से प्रभावही इनऑपरेटिव एण्ड वॉइड ऐबी नीस्यु है।

यह कि सेटल कर्मचारियों द्वारा की गइ खसरा त्रुटि व नक्शा ट्रेस त्रुटि के आधार पर पटवारी हल्का को किसी भी प्रकार का प्रार्थी को नुकसान पहुचाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि उक्त खसरा नम्बरो के गलत अंकन होने की जानकारी प्रार्थीगण का सर्वप्रथप अपने खाते की नकल व नक्शा ट्रेस की नकल दिनांक 13/11/2014 को लेने पर हुइ है।

यह कि उक्त आराजीयात ग्रम हीरियाखेडी में स्थित होने से उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवायी का क्षेत्राधिकारएवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

यह कि प्रार्थनापत्र उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थनापत्र में राजस्थान सरकार भू–धारक होने से जर्ये तहसीलदार सा0 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नं 126 127 129 130 की संपूर्ण व 131 के मध्य भाग जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है उसी अनुरुप नक्शा ट्रैस में तरमीम किया जावे एवं नक्शा ट्रैस में तरमीम कर खाते में दुरुस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे एवं अन्य जो भी न्यायोचित हो प्रार्थीगण को दिलवायी जावे

Scanned by CamScanner

लोक अदालत
आपके द्वार अभियान

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये।

1. नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2068–71 खाता नम्बर 58
2. नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2068–71 खाता नम्बर 139
3. नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2068–71 खाता नम्बर 149
4. नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2068–71 खाता नम्बर 3
5. नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2068–71 खाता नम्बर 151
6. ऑशिक नकल नक्शा ग्राम हीरियाखेड़ी सन् 2001–2002
7. नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2051–54 खाता नम्बर 99
8. ऑशिक नकल नक्शा ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2010–11
9. नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम हीरियाखेड़ी 2004–24
10. ऑशिक नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2068–71 खाता नम्बर 1
11. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2067–70 खसरा नम्बर 3126 ,127
12. नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2051–54 खाता नम्बर 1
13. नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2055–58 खाता नम्बर 1
14. नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2068–71 खाता नम्बर 134

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी द्वारा निम्न जवाब बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया।

बिंदु स01:– मुताबिक रेकाड के स्वीकार है।

बिंदु स02:– मुताबिक नकल जमाबंदी गत के स्वीकार है।

बिंदु स03:– मंयक सांवला के खाते में दर्ज हाल0 ख0न0 131/0.80 है0 ओद्यौगिक गत ख0नं0 89 से ही बना है तथा हाल ख0न0 126 की 0,60 है0 व 127 की 0.01 है0 जो कि सिवायचक खाते में दर्ज है। दोनो ख0न0 भी गत ख0न0 89 से ही बने है। गत तक्शे में तरमीम नही हो रही है तरमीम के अभाव में मंयक सांवला का हाल ख0न0 126 की 0.60 वाले स्थान पर काबिज था इसकी पुष्ठी रेकार्ड से नही होती है।

Scanned by CamScanner

लोक अदालत
आपके द्वार अभियान

परंतु पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 06/04/2015 के मुताबिक मंयक सांवला हाल ख0नं0 126 की 0.60 है0 पर काबिज है। अतः हाल ख0नं0 126 की 0.60 है0 सिवायचक भूमि को मंयक सांवला के खाते में दर्ज होना , मंयक सांवला के खाते की भूमि ख0न0 131 रकबा 0.80 है0 में से 0.60 है0 भूमि सिवायचक में दर्ज होने पर कोइ आपत्ति नहीं है तथा हाल ख0न0 127 की 0.01 है0 भूमि रेकार्ड में सिवायचक गै0 मु0 चाह दर्ज होने से इस ख0 नं0 में किसी प्रकार का परिवर्तन अस्वीकार है।

बिंदु स04:–इस बिन्दु का जवाब मद सं0 3 में अंकित है।
बिंदु स05:–स्वीकार है।
बिंदु स06:–स्वीकार है।
बिंदु स07:–इस बिंदु का इस कार्यालय से कोइ संबध नहीं है।
बिंदु स08:– यह बिंदु भी इस कार्यालय से कोइ संबध नहीं है।
बिंदु स09:–यह बिंदु माननीय न्यायालय से संबधित है।
बिंदु स010:–यह बिंदु माननीय न्यायालय से संबधित है।
बिंदु स011:–यह बिंदु भी इस कार्यालय से कोइ संबध नहीं है।

राजपक्ष का जवाब सादर प्रस्तुत है।

अपने जवाब के साथ अप्रार्थी द्वारा मोका रिपोर्ट पटवारी तथा प्रस्तावित नक्शे की रिपौर्ट संलग्न की गई । मोके की रिपोर्ट पटवारी दिनॉक 06.04.2015 एवं प्रस्ताव की प्रति शामिल मिसल की गई।

अप्रार्थी का जवाब प्रस्तुत होने पर जवाब की प्रति विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई। जवाब मय रिपोर्ट शामिल मिसल किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण सेटलमेंन्ट से पूर्व से ही अपने ही स्थान पर काबिज है , सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंन्ट प्रार्थीगण को अन्य जगह पर नक्शे में दर्शा दिया गया है। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते की भूमि पर ही राजकीय तौर पर अतिचारी कहलायेगे। प्रार्थीगण मौका रिपोर्ट अनुसार ही काबिज है तथा उन्ही स्थान

Scanned by CamScanner

जस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार अभियान

पर प्रार्थीगण को नक्शे में भी दर्शाया जावे। बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई गलती के निवारण के लिये प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पैरोकार सरकार को प्रार्थीगण को वॉच्छित अनुतोष पर कोई ऐतराज नहीं है। अतः दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीगण को मोके अनुसार नक्शे में दर्शाया जावे।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तथा प्रार्थनापत्र का आधार तथा आलंबन पर विचार किया गया। प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब, प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य , वॉछित अनुतोष , जवाब के कथन तथा अनुतोषादि पर सम्यक विधिसंगत विचार किया गया।

हस्व नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सम्वत् 2051–54 प्रकरण वर्णित भूमि साबिक खसरा नम्बर 89 रकबा 15 बीघा लक्ष्मण , बालचन्द गौपाल व श्यामलाल पुत्र ग्यारस्या मु0 नन्दु बेवा ग्यारस्या के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी। हस्व मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 89 के हाल खसरा नम्बर 126 ,127 ,128 बने है तथा साबिक खसरा नम्बर 88 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा तथा 89 मि0 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 89 मि0 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजकीय खाते में दर्ज थी।

हस्व नकल जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी स0 2068–71 खसरा नम्बर 130/537 रकबा 0.41 हैक्टर प्रार्थी नम्बर 1 के नाम पर दर्ज है। हस्व जमाबन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी सं0 2068–71 खसरा नम्बर 130 , 130/536 तथा 427 भी प्रार्थी नम्बर 1 के नाम पर ही दर्ज है।

हस्व नकल जमावन्दी ग्राम हीरियाखेड़ी स0 2068–71 खसरा नम्बर 131 रकबा 0.80 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 130/538 , 428/531 व 429 भी प्रार्थी नम्बर 2 के नाम पर दर्ज है। इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर 89 की भूमियों को प्रार्थीगण के कब्जे वाली को सिवाय चक तथा सिवाय चक को प्रार्थी के कब्जे वाली होना नक्शे में दर्शाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। उक्त तथ्य मोका रिपोर्ट से भली भॉति प्रमाणित होते है। किन्तु जवाब सरकार में खसरा नम्बर 127 को पूर्व की भॉति रखने तक सहमति व्यक्त करते हुये कब्जा अनुसार परिवर्तन पर रजामंदी जाहिर की है।

Scanned by CamScanner

CASE NO: 11/2015
24/02/15

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

लोक अदालत
आपके द्वार अभियान

प्रकरण में यह तय है कि प्रार्थीगण को उनके कब्जेशुदा स्थान से अन्य स्थान पर राजस्व नक्शे में दर्शा दिया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना सहमति की हद तक उचित प्रतीत होता है , क्योकि महकमा वन्दोवरत को इस प्रकार से मोके से इतर जाकर इन्द्राज करने का कोई अधिकार नहीं है। वन्दोवस्त विभाग द्वारा मोका स्थिति से अलग इन्द्राज कर प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा त्रुटिपूर्ण वनाया गया है जिसका उन्है कोई विधिक अधिकार नहीं था।

बन्देबस्त विभाग द्वारा किया गया त्रुटिपूर्ण कृत्य तथा उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप राजस्व रिकार्ड तथा नक्शे में की गई त्रुटि को प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के हकदार पाये जाते है।

अतः अप्रार्थी की सहमति की हद तक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम हीरियाखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी की भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 0.60 हैक्टर को अप्रार्थी सरकार के खाते से हटाई जाकर प्रार्थी नम्बर 2 के खाते में दर्ज की जावे तथा प्रार्थी नम्बर 2 के खाते में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 131 कुल रकबा 0.80 हैक्टर में से 0.60 हैक्टर रकबा उत्तर दिशा को सिवायचक सरकार दर्ज किया जावे। राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। रिकार्ड में अमल दरामद हो।

3/5/2018
(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनॉक 3/05/2018 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

3/5/2018
(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner